## 8317 वाहन चालकों पर कार्रवाई की

**जयपुर ।** सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। राज्यभर में 1 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 8 हजार 317 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉ. बी.एल. मीना ने बताया कि इस अभियान के दौरान उन वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिनमें अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, हूटर, एयर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, वाहन पर अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा वाहन की संरचना में अवैध परिवर्तन जैसे उल्लंघन पाए जा रहे हैं।

# डोडा-चूरा तस्करी का नेटवर्क चलाने वाला तस्कर केरल से गिरफ्तार

## 2500 किमी. दूर मालाबार तक पीछा करके पहुंची एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

गिरफ्तार आरोपी रमेश बंजारा

- समधी के साथ चला रहा था नशे का कारोबार, आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित
- आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वह राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में डोडा-चूरा की सप्लाई करता था

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'मदाविकाढत' के तहत मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किए गए तस्कर रमेश बंजारा से मिली जानकारी के आधार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने ऑपरेशन 'यमलकमली' चलाकर उसके समधी एवं मुख्य सहयोगी रणजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा निवासी मनासा जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को केरल से गिरफ्तार किया है। 25 हजार रुपए का इनामी यह अपराधी पिछले सात वर्षों से फरार चल रहा था और फलोदी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

एएनटीएफ पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में टीम ने राजस्थान से केरल तक करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय कर इस शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ एएनटीएफ की प्रतिबद्धता का बड़ा उदाहरण है।

जांच में सामने आया कि रणजीत दायमा भले ही अधिक शिक्षित नहीं है, लेकिन वह कन्नड, तेलुगु और मलयालम भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखता था। केरल के शोरानूर क्षेत्र में फरारी के दौरान उसने स्थानीय लोगों के बीच खुद को पूरी तरह घुला-मिला लिया था। वह इतनी धाराप्रवाह स्थानीय भाषाएं बोलता था कि लोग उसे स्थानीय निवासी ही समझते थे, जिससे उसकी वास्तविक पहचान छिपी रही। एएनटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि रणजीत और हाल ही में गिरफ्तार किया गया रमेश बंजारा आपस में समधी हैं तथा पिछले आठ वर्षों से डोडा-चूरा तस्करी के कारोबार में साझेदार थे। रमेश जहां सौदे तय करता था, वहीं रणजीत माल की व्यवस्था कर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर भेजने का काम करता था। पुलिस के अनुसार रणजीत को प्रति किलो डोडा-चूरा पर 500 रुपए कमीशन मिलता था। एक बार में 100 से 500 किलो तक माल की आपूर्ति होने पर उसे 50 हजार से लेकर दो लाख रुपए तक की कमाई हो जाती थी। फरारी के दौरान रणजीत ने केरल के शोरानूर जिले के वडकनचेरी क्षेत्र में कंबल की दुकान संचालित कर रखी थी। वह मोटरसाइकिल पर कंबल लेकर आसपास के इलाकों में घूम-घूमकर बिक्री करता था और प्रतिदिन करीब 150 किलोमीटर तक का सफर तय करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह समय-समय पर राजस्थान और मध्यप्रदेश आकर तस्करी के नेटवर्क को संचालित करता और फिर वापस केरल लौट जाता था।

रमेश बंजारा से पूछताछ के दौरान एएनटीएफ को रणजीत के केरल में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद टीम के सदस्य राजस्थानी कारीगरों के वेश में शोरानूर पहुंचे और कई दिनों तक उसके ठिकानों की रेकी की।

सूचना मिली कि रणजीत उस दिन शोरानूर से करीब 100 किलोमीटर दूर नीलयांमती पहाड़ियों के दुर्गम क्षेत्र में कंबल बेचने गया हुआ है। टीम वहां पहुंची और ग्राहक बनकर उससे कंबल खरीदने का नाटक किया। बड़ी खरीदारी का लालच देकर उसे एक वाहन तक बुलाया गया, जहां एएनटीएफ टीम ने अपना परिचय देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद प्रारंभिक पूछताछ में रणजीत ने स्वीकार किया कि वह राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में डोडा-चूरा की सप्लाई करता था। उसने पुलिस को बताया कि उसका नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैला हुआ था और उसे स्वयं यह जानकारी नहीं थी कि उसके खिलाफ किन-किन राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद एएनटीएफ की टीम आरोपी को केरल से राजस्थान लेकर आई। सात वर्षों से फरार चल रहा यह इनामी तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण और लंबी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली एएनटीएफ टीम को मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

# 72 हजार प्रतिबंधित "ट्रामाडोल" कैप्सूल की खेप जब्त

- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने तस्कर को गिरफ्तार किया
- आगरा से महवा लाई जा रही थी यह प्रतिबंधित दवाएं

**जयपुर।** नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की खेप जब्त की है। यह खेप उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के महवा लाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार ब्यूरो को खुफिया सूचना मिली थी कि एक तस्कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बस के जरिए प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप लेकर आगरा से महवा की ओर आ रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीबीएन जयपुर की एक विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध बस की निगरानी शुरू की गई।

टीम ने आगरा-महवा मार्ग पर भरतपुर बाइपास के निकट महवा (जिला दौसा) में बस को रुकवाकर तलाशी ली। जांच के दौरान एक यात्री के कब्जे से तीन पॉलीबैग बरामद हुए, जिनमें छिपाकर रखे गए कुल 72 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल मिले। ट्रामाडोल एक प्रतिबंधित दवा है, जिसकी अवैध तस्करी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सीबीएन ने मौके पर ही पूरी खेप जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत मादक पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। सीबीएन अब यह पता लगाने में जुटी है कि जब्त खेप कहां से लाई गई थी, इसे किसे सप्लाई किया जाना था और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सीबीएन को दें। ब्यूरो ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

# वार्डों का परिसीमन मतदाताओं की संख्या से नहीं जनसंख्या के आधार पर : राजस्थान हाईकोर्ट

- अदालत ने टोडाभीम नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के परिसीमन से जुड़े मामले में कहा है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वार्डों का विभाजन और निर्धारण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर। इसके साथ ही अदालत ने टोडाभीम नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अमृता मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में कहीं भी मतदाता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि कानूनन प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की कुल जनसंख्या के आधार पर होता है।

अदालत ने कहा कि हो सकता है कि किसी वार्ड की कुल आबादी बहुत अधिक हो, लेकिन वहां मतदाताओं की संख्या बेहद कम हो। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष अधिसूचना जारी कर कुछ गांवों को टोडाभीम नगर पालिका से बाहर कर दिया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने 35 वार्डों का गठन किया। वहीं परिसीमन के समय प्रति वार्ड 790 व्यक्तियों की आबादी का मानक तय किया गया था, जिसमें दस फीसदी के अंतर की अनुमति थी। गत मार्च माह में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रारूप मतदाता सूची में वार्डों के बीच भारी असमानता देखी गई। वार्ड संख्या 25 में जहां 973 मतदाता थे, वहीं वार्ड संख्या 30 में केवल 217 मतदाता रह गए। याचिका में कहा गया कि मतदाताओं की यह असमानता सरकार के 10 प्रतिशत के नियम की अवहेलना करती है और संविधान के अनुच्छेद 14 व 243आर के तहत समान प्रतिनिधित्व के प्रावधान के भी खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि वार्डों का विभाजन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित अनुपात में रखे बिना किया गया है, जिससे कुछ मतदाताओं को दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य मिल गया है। जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि हाईकोर्ट परिसीमन को लेकर गत 14 नवंबर को आदेश दे चुका है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

## वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 28 जून को

**जयपुर ।** राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 28 जून को आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिला कलक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

जिला कलक्टर के आदेशानुसार परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से संपन्न कराने के लिए नियंत्रण कक्ष 26 एवं 27 जून को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 28 जून को प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति एवं संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक संचालित रहेगा।

## देवनानी ने किए गिरिराज के दर्शन

**जयपुर ।** राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को श्री गोवर्धन धाम पहुंचकर दानघाटी स्थित मंदिर में श्री गिरिराज महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं कल्याण की कामना करते हुए गिरिराज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

देवनानी ने श्रद्धापूर्वक दण्डवत प्रणाम कर गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ किया तथा संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण के संवर्धन के महत्व पर भी बल दिया। देवनानी ने कहा कि गोवर्धन धाम आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।

यहां की परिक्रमा व्यक्ति को आत्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर के प्रति समर्पण की अनुभूति कराती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा धारण किए गए गिरिराज गोवर्धन भारतीय संस्कृति में प्रकृति संरक्षण, लोककल्याण और सनातन की रक्षा के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मंदिर के संतों ने देवनानी को श्री गिरिराज महाराज का प्रसाद एवं आशीर्वाद प्रदान किया।


नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।


**आम जाहीर सूचना**

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 3/74 बनास विहार आवासीय योजना टोंक क्षेत्रफल 42.187 वर्गमीटर का आवंटन मूलतः श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पदम सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 250 दिनांक 29.06.1996 जारी किया गया था। श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पदम सिंह द्वारा पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक टोंक में दिनांक 09.12.2010 को करवाया गया। श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पदम सिंह द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र के श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान दास को किया गया। श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान दास द्वारा पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक टोंक में दिनांक 09.12.2010 को करवाया गया। श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान दास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र के श्रीमति सुनीता बाला पत्नी श्री शिवराज बैरवा को किया गया। श्रीमति सुनीता बाला पत्नी श्री शिवराज बैरवा द्वारा पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक टोंक में दिनांक 23.09.2020 को करवाया गया। श्रीमति सुनीता बाला पत्नी श्री शिवराज बैरवा द्वारा नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु मण्डल नियमानुसार वांछित दस्तावेज यथा आवेदन पत्र मय प्रशासनिक शुल्क जमा चालान रसीद, शपथ पत्र, स्वयं, व गवाहान के पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर आवास संख्या 3/74 बनास विहार आवासीय योजना टोंक का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण अपने पक्ष में करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदिका श्रीमती सुनीता बाला पत्नी श्री शिवराज बैरवा के पक्ष में उक्त आवास के स्थानान्तरण/ हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-13, जयपुर

**हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना**

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालयः SDO स्थान मौजमाबाद

मुकेश वर्मा विरुद्ध तहसीलदार

वाद/प्रार्थना पत्र 128 LR act

प्रार्थना-पत्र संख्या 36/2025

नाम ओमप्रकाश पुत्र डूंगाराम जाति खटीक पता राजोरिया भवन मण्डी खटीकान जयपुर, जिला जयपुर

उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन किया है।

अतः आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 30 माह 06 सन् 2026 को 10.00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।

यह आज ता. 23 माह 06 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

आज्ञा से

(न्यायालय की मोहर) रीडर, उपा. खण्ड अधिकारी मौजमाबाद न्यायालय

**राजस्थान आवासन मण्डल वृत-तृतीय**

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर -0141-4901853

क्रमांकः- 1828 **आम जाहिर सूचना** दिनांकः- 22.06.26

आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 1/ट/10 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 196.00 वर्ग गज का आवंटन कुमारी मोहिनी लालवानी पुत्री श्री करम चन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1730 दिनांक 06/04/1976 जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 14/09/1976 को प्राप्त कर लिया गया था। कुमारी मोहिनी लालवानी की मृत्यु दिनांक 06/09/1993 को हो जाने के कारण कुमारी लाजवन्ती लालवानी पुत्री स्व. श्री करम चन्द लालवानी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, नोटरी पब्लिक द्वारा दिनांक 14/12/1992 को सत्यापित इच्छा पत्र (वसीयतनामा) की छाया प्रति एवं इच्छा पत्र में अंकित गवाहों का शपथ पत्र एवं पहचान पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त कुमारी लाजवन्ती लालवानी पुत्री स्वश्री करम चन्द लालवानी के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा. आ. मण्डल. जयपुर

**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर**

क्रमांक:1551 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:23.06.2026

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 251/21 (HIG), (एरिया 202.300 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती बबीता पाहवा पत्नी श्री सुधीर पाहवा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 5728 दिनांक 21.02.2008 को जारी किया गया। श्रीमती बबीता पाहवा के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 27.07.2010 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर, के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती बबीता पाहवा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 06.08.2013 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार तोलानी एचयूएफ जरिये कर्ता श्री प्रदीप कुमार तोलानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द तोलानी को विक्रय कर सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री प्रदीप कुमार तोलानी एचयूएफ जरिये कर्ता श्री प्रदीप कुमार तोलानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 06.04.2018 के द्वारा श्री अशोक कुलहरि पुत्र श्री शेर सिंह को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री अशोक कुलहरि द्वारा उक्त आवास को दिनांक 14.05.2024 के द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बंसल को विक्रय कर उप पंजीयक - अष्टम, मानसरोवर, जयपुर, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / केती श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बंसल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्री नरेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण बंसल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

**COLLEGE OF AGRICULTURE**

(S.K.N. AGRICULTURE UNIVERSITY)

Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201, E-Mail : dean.coabharatpur@sknau.ac.in

No. :- F. /OT/COA-K/2026/7192 Date :- 20/06/2026

**NOTICE INVITING BID**

Bid for open tender regarding Kachha Farm Pond Digging are invited from interested bidders upto 12:00 PM of 27.06.2026 and the tender will be opened on 27.06.2026 at 01.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal **(http://sppp.raj.nic.in)** of the Rajasthan state; and **www.sknau.ac.in** University Website.

**NIB code: SKN2627A0097 and UBN is: SKN2627SSRL00111**

Raj.Samwad/C/26/5473 DEAN

**कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)**

क्रमांक : भू.वि.शाखा/2026/9086 सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक : 18.06.2026

प्राधिकरण की योजना एस.पी. जैड (मैडीकल कॉलेज) में आवासीय भूखण्ड संख्या H-22 (क्षेत्रफल-282.00 वर्गमीटर) की लीजडीड श्री मुकेश चन्द जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन जाति वैश्य निवासी-हीरीपुक ऐजेन्सी के पीछे दुर्गा नगर कुम्हेर गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर को जारी की गई थी। प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों के आधार पर श्री मुकेश चन्द जैन पुत्र श्री रमेश चन्द जैन द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा- आम दिनांक 11.05.2015 को श्री माधव मित्तल पुत्र स्व. श्री शिवचरन लाल मित्तल जाति वैश्य निवासी-घास की मण्डी पुरोहित मौहल्ला भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर के पक्ष में कर दिया गया गया। श्री माधव मित्तल पुत्र स्व. श्री शिवचरन लाल मित्तल द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.10.2015 को श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल जाति वैश्य निवासी-बजाज हाउस नमक कटरा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर को कर दिया गया। श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल द्वारा नाम परिवर्तन कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवासीय भूखण्ड संख्या H-22 का नाम परिवर्तन श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल के पक्ष में करने पर किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद गुजरने म्याद आवासीय भूखण्ड संख्या H-22 योजना एस.पी. जैड (मैडीकल कॉलेज) भरतपुर का नाम परिवर्तन श्री मनीष मित्तल पुत्र श्री मोहन लाल मित्तल जाति वैश्य निवासी-बजाज हाऊस नमक कटरा भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)

**कार्यालय नगर परिषद, किशनगढ़ जिला - अजमेर (राज)**

क्रमांक/नपकि/उद्यान/2026/10 दिनांक 19.06.2026

**ई-निविदा सूचना संख्या 01/2026-2027**

नगर परिषद किशनगढ की ओर से नगर परिषद किशनगढ एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया सेनगर परिषद क्षेत्र में लगे पार्को मे लगे पौधो की देखरेख व पानी पिलाने का कार्य हेतु बागवान आपूर्ति कार्य। हेतु ऑन लाईन निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 20/06/2026 को प्रातः 09.00 बजे से तथा प्राप्त करने की दिनांक 30/06/2026 को सायं 06.00 बजे तक एवंनिविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in/ व https://eproc.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

यूबीएन नं. DLB2627A3343

राज.संवाद/सी/26/5514 आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़

**प्रसार शिक्षा निदेशालय**

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय), जोबनेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) 303329

No. :- DEE/Acctt/Tender/2026/384 Date :- 20/06/2026

**खुली निविदा सूचना**

प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर पर चल रहे कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों, मासिक बैठकों, संगोष्ठियों, क्षेत्र दिवसों एवं किसान मेलों में अधिकारियों, प्रशिक्षणार्थियों, किसानों एवं आमंत्रित सदस्यों के लिए नाश्ता, दोपहर व रात्रि भोजन के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा सम्बन्धित सभी अर्हताएं एवं शर्ते निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी है कार्यालय सूचना पट्ट तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.sknau.ac.in** व **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है। इच्छुक केटर्स, कैन्टीन मालिक, ढाबा व्यवसाई व हलवाई प्रसार शिक्षा निदेशालय से निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क द्वारा दिनांक 01.07.2026 को दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त कर मोहरबंद निविदाएं निम्नानुसार कार्यालय में दिनांक 01.07.2026 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है।

UBN : SKN2627SSOB00192

राज.संवाद/सी/26/5471 निदेशक प्रसार शिक्षा

# मुहाना मंडी में फल व्यापारी पर हमला, लूट का प्रयास

**जयपुर।** मुहाना मंडी में मंगलवार दोपहर फल व्यापारी पर जानलेवा हमला और लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। बदमाशों ने मंडी स्थित एक फल फर्म में घुसकर व्यापारी और उसके भाई पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

पीड़ित महेंद्र सिंह ने मुहाना थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह मुहाना मंडी स्थित अपनी लक्ष्मी फ्रूट कंपनी के कार्यालय में बैठा था। इसी दौरान वृंदावन विहार कपूरावाला निवासी रोहिताश उर्फ राहुल करीब 20 साथियों के साथ वहां पहुंचा और विवाद करते हुए हमला कर दिया। आरोप है कि कई बदमाशों ने चेहरे कपड़े से ढंक रखे थे।

हमले में महेंद्र सिंह के भाई बलवीर सिंह के सिर पर डंडे से वार किया गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और सिर में 10 टांके लगाने पड़े। बीच-बचाव में महेंद्र सिंह भी घायल हो गए तथा उनके हाथ का अंगूठा टूट गया। उस समय कार्यालय में दिनभर की बिक्री के करीब छह लाख रुपए बैंक में जमा कराने की तैयारी चल रही थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी नशे की हालत में थे और लूट की नीयत से आए थे।

शोर-शराबा होने पर अधिकांश हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि व्यापारियों ने मुख्य आरोपी रोहिताश को पकड़ लिया। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी मुहाना थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

# काम सिखाने के बहाने बुलाकर छात्र से दरिंदगी

- पुलिस ने मामले में तुरन्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया

**जयपुर।** राजधानी में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में काम सिखाने के बहाने उत्तर प्रदेश से जयपुर लाए गए 9वीं कक्षा के एक 15 वर्षीय छात्र के साथ उसके ही परिचित युवक द्वारा कुकर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित नाबालिग की सजगता और पुलिस की तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत (जेल) भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला पीड़ित छात्र गर्मियों की छुट्टियां होने के कारण घर पर था। आरोपी परिचित ने उसके परिजनों को झांसा दिया कि वह बच्चे को जयपुर ले जाकर कोई अच्छा काम सिखा देगा। परिजनों ने आरोपी पर भरोसा कर अपने मासूम बेटे को उसके साथ जयपुर भेज दिया।

दर्ज शिकायत के मुताबिक बीते 20 जून को दोपहर करीब 12 बजे आरोपी युवक ने कमरे पर छात्र को अकेला पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें की और कुकर्म (गलत काम) किया। नाबालिग ने जब इसका कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने उसे किसी को कुछ न बताने के लिए डराया-धमकाया। इसके बाद सहमा हुआ मासूम किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर कमरे से बाहर भागा और सड़क पर चलते राहगीरों से रास्ता पूछकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मासूम की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत पॉक्सोएक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया और तत्काल दबिश देकर आरोपी परिचित युवक को धर-दबोच कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की कड़ियों को जोड़ते हुए गहन जांच कर रही है।